



हमीरपुर पुलिस



दिनांक 25/05/2021

थाना जलालपुर

अवैध शराब की तस्करी में कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 135 क्वार्टर अवैध देशी शराब, एक स्विफ्ट गाड़ी, 12000 ढक्कन देशी शराब के क्वार्टर के, 250 रैपर, 250 होलोग्राम व 200 अदद खाली क्वार्टर बरामद:-

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में थाना जलालपुर पुलिस व स्वात टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर के दिनांक 24.05.2021 व 25.05.2021 को अलग-अलग 02 प्रकरण में कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, व भारी मात्रा में माल बरामद।

केस-1

दिनांक 24/05/2021 को पुरैनी तिराहा ममना के पास चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी नं0 UP91N3239 से 02 अभियुक्तगण 1) बृजभान उर्फ बउवा यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी ग्राम लरौंद, थाना बिवार जिला हमीरपुर 2) दीपक उर्फ प्रशांत उर्फ बउवा सविता पुत्र राजेन्द्र कुमार सविता निवासी मुहल्ला मराठीपुरा कस्बा मौदहा थाना मौदहा जिला हमीरपुर के कब्जे से 135 क्वार्टर देशी ड्रूम नकली अपमिश्रित शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना जलालपुर में मु0अ0सं0-85/2021 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 63 A कापी राईट एक्ट व 60 EX ACT में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। तथा अभियुक्तगणों द्वारा जनपद महोबा व जनपद जालौन में भी अपमिश्रित शराब की बिक्री की गयी है जिसके सम्बन्ध में जनपद महोबा के थाना कुलपहाड में मु0अ0सं0 75/21 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 60A EX ACT व 63A कापी राईट एक्ट पंजीकृत है तथा जनपद जालौन थाना आटा में भी मु0अ0सं0 37/21 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 60A EX ACT का मुकदमा पंजीकृत है। इस प्रकार से अभियुक्तगण एक अभयस्थ अपमिश्रित शराब व्यवसायी है जिनकी तलाश जनपद महोबा व जालौन पुलिस द्वारा भी की जा रही थी।

बरामद शूदा माल :-

- 1.135 अदद देशी शराब क्वार्टर ड्रूम ब्रांड (अपमिश्रित)
2. एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी का नं0 UP 91 N 3239

आपराधिक इतिहास :-

- 1.मु0अ0सं0 85/2021 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 63 A कापी राईट एक्ट व 60 EX ACT थाना जलालपुर
- 2.मु0अ0सं0 69/21 धारा 60 आब अधि0 420/467/468/471/272 IPC व 63A कापी राईट एक्ट सन् 1957 थाना जलालपुर
- 3.मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आब अधि0 420/467/468/471/272 IPC व 63A कापी राईट एक्ट सन् 1957 थाना जलालपुर
- 4.मु0अ0सं0 75/21 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 60A EX ACT व 63A कापी राईट एक्ट थाना कुलपहाड जिला महोबा

5.मु0अ0सं0 37/21 धारा 420/467/468/471/272 IPC व 60A EX ACT थाना आटा जिला जालौन

केस-2

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा दिनांक 25.05.2021 को राठ रोड ममना के आगे, मंदिर के पास पेड के नीचे बहद ग्राम ममना, अभियुक्त सुरेश सिंह यादव पुत्र शिवसहाय यादव निवासी ग्राम फरसौलियाना कस्बा राठ जिला हमीरपुर के कब्जे से 12000 ढक्कन देशी शराब क्वार्टर के, 250 रैपर व 250 होलोग्राम व 200 अदद देशी शराब के प्लास्टिक के सफेद क्वाटर खाली बरामद किए गए, गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 86/2021 धारा 419/420/467/468/471 IPC व 63 A कापी राईट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

बरामद शुदा माल -

12000 ढक्कन देशी शराब के क्वार्टर के, 250 रैपर व 250 होलोग्राम व 200 अदद देशी शराब के प्लास्टिक के सफेद क्वाटर खाली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 विनोद कुमार थाना जलालपुर
- 2.प्र0नि0 स्वाट टीम बृजेश चन्द्र यादव
- 3.उ0नि0 गुलाब सिंह
- 4.उ0नि0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी
- 5.हे0का0 रजत सिंह
- 6.का0 रवीन्द्र प्रताप सिंह
- 7.का0 कमल कान्त

